बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–: : आदेश : :–

आदेश संख्या–27/परि0–06–80/2025–सा0प्र0..............पटना–15, दिनांक....................

श्री मुकेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 683/23, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज एवं नौगछिया सम्प्रति उप विकास आयुक्त, सिवान के विरूद्ध श्री अंजनी कुमार झा के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– 15012/11/2025, दिनांक–27.11.2025 के माध्यम से परिवाद पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं था।

परिवादी द्वारा पुनः परिवाद पत्र दिनांक–09.12.2025 इस विभाग को भी उपलब्ध कराया गया, जिसके साथ भी शपथ पत्र संलग्न नहीं था।

विभागीय पत्रांक–23495 दिनांक–17.12.2025 द्वारा परिवादी श्री झा से शपथ पत्र की मांग की गयी, जो डाक विभाग द्वारा "अपूर्ण पता अतः वापस फोन नं0 नहीं लगता है नेटवर्क इरर" अंकित कर इस विभाग को वापस किया गया। तदुपरांत परिवाद पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु परिवादी से सम्पर्क नही हो सका।

शपथ पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में परिवाद पत्र की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय परिपत्र संख्या–945 दिनांक–24.06.2005 में निहित प्रावधान के आलोक में इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 683/23, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज एवं नौगछिया सम्प्रति उप विकास आयुक्त, सिवान के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह0/-
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–27/परि0–06–80/2025–सा0प्र0..1478..पटना–15, दिनांक...20.1.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार NDCC-II, Building, 1st Floor, Jai Singh Road, New Delhi/श्री अंजनी कुमार झा, वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना, राजीव नगर, पटना–800024 मो0 9431424165/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.01.26

सरकार के अवर सचिव।